

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no-01372-252175

पत्रांक 4831 / 12-1, गोपेश्वर,

दिनांक

अप्रैल, 29

2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिमर-सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी 6.00 से ग्राम कोलाङ्गी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.881 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं 08वी/यूर्सी०पी०/०६/१७/२०२२/एफ०सी०/१७९२ दिनांक 30.03.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर ने अपने पत्र सं 583./1सी० वन दिनांक 23.04.2022 से डिमर-सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी 6 से ग्राम कोलाङ्गी तक मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पार्थी गयी कमियों का निराकरण कर विन्दुवार ऑख्या निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेपित किया गया है:-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	On perusal of KML. It is noticed that village is already connected with the road. If the connectivity required through deep inside the forest then the alignment can also be proposed from the nearest existing road instead of fragmenting the forest from other side which appears very dense.	ग्राम कोलाङ्गी -धाराङ्गी-मैखुरा सौनला मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं 94) से लगभग 1.50 से 2.00 किमी० पैदल दूरी पर है। पूर्व में कोलाङ्गी गांव को राज्य मार्ग सं 94 से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया था, परन्तु ग्राम विडोली तत्त्वी के वन भूमि धारकों द्वारा भूमि न देने सम्बन्धी विवाद किया गया (आपत्ति पत्र संलग्न-1)। वर्तमान में मार्ग का संरेखण अत्यन्त विरल हरियाली क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिसका हरियाली घनत्व 0.3 मात्र है।
2.	It is also seen that the alternative alignment is parallel to the proposed road which does not serve the purpose. State Goverment is required to upload the details of the alternative from nearest existing road.	वैकल्पिक संरेखण की लम्बाई 2.500 किमी० है, इस संरेखण पर 2 हेयरपिन बैण्ड पड़ते हैं तथा 155 वृक्ष प्रमाणित हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता भी इस संरेखण से सहमत नहीं है।
3.	The NPV calculation sheet is found uploaded on old rates. State may sumit/upload NPV calculation sheet as per new rates.	एन०पी०वी० की गणना शीट नई दरों पर गठित कर आपके पत्रांक संख्या 4164/12-1 दिनांक 06.04.2022 द्वारा निर्धारित कॉलम में ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है की मूल प्रति संलग्न है। (संलग्न-2)

संलग्न- ग्राम विडोली तत्त्वी का आपत्ति पत्र मूल में।

अतः अनुरोध है कि मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु अपने रूप से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

दिनांक।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

प्रधान

ग्राम पंचायत कनखुल तल्ला

विकासखण्ड- कर्णप्रयाग

जनपद- चमोली (उत्तराखण्ड)

शक्तीकला तोपाल

ग्राम व पो. कनखुल तल्ला

मो. 9634607181, 7248079946

Ref:-

आपाति प्रभारी पत्र

Date : 28-12-2020

हम समस्त आमवासी (विडोली तल्ली कोलोनी के विडोली) कोलाङ्गारी भेदभाँगी का सबै छोरदा था। उसमे इमारी नष्टिशुभि इसी लए हो प्रभावित होरही है, जिस पर समस्त आमवासीयों को घोर आपाति है,

समस्त आमवासी
विडोली तल्ली
प्रधान पंचायत कनखुल तल्ला
दानालौद Jacob
बसन्त कुमार राना Basant
मेमदिह -
दिनेशलिहु -
कमललिहु - कमललिहु
तन्द्रलिहु - तन्द्रलिहु
विनोदलिहु - Vinod




एनोपी०वी० की धनराशि का प्रमाण पत्र

प्रस्ताव का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत डिमर-सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी० ६ से ग्राम कोलाङुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.८६१ है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं० ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि हेतु एनोपी०वी० की देयता निम्नानुसार है:-

- 1— ईको-क्लास श्रेणी — V
- 2— हरियाली का घनत्व— ०.३
- 3— एनोपी०वी० की दर प्रति है० रु० १००५२१०/-
- 4— आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल— ०.८६१ है०
- 5— कुल देय एनोपी०वी० की धनराशि रु० ८६५४८५.८१


प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर